समाहरणालय, रोहतास

(जिला नजारत शाखा)

अल्पकालीन निविदा सूचना

जिलास्तरीय आपातकालीन संचालन कन्द्र के सुदृढ़ीकरण के लिए सामग्री एवं उपकरण आदि क्रय करने हेतु अनुभवी, योग्य एवं इच्छुक फर्मों से द्विलिफाफा प्रणाली के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है। अनुभवी फर्म जो निविदा के सारे शर्तें को पूर्ण करते हो, सीलबंद लिफाफे में एक तकनीकी निविदा एवं दूसरा वित्तीय निविदा जिला नजारत रोहतास, सासाराम के कार्यालय में दिनांक–23.03.2018 को 1.00 बजे अपराह्न तक दे सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्राप्त सभी निविदायें दिनांक 23.03.2018 को 4.00 बजे अपराह्न में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। स्वयं निविदादाता या उनके प्रतिनिधि जिला क्रय समिति की बैठक में उपस्थित रह सकते हैं। विस्तृत जानकारी रोहतास जिला के वेवसाईट http//rohtas.bih.nic.in या जिला नजारत प्रशाखा, रोहतास से प्राप्त की जा सकती है।

(क) <u>सामान्य शर्तें</u> :

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में देना अनिवार्य है। दोनो लिफाफे को अलग से एक लिफाफे में डालकर इसे मुहरबंद कर समर्पित करना होगा।
2. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
3. बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने, निविदा के शर्तो को संशोधित करने, कार्यहित में एक से अधिक एजेंसी के बीच कार्य को बॉटने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।
4. समय सीमा के अन्दर आपूर्ति नही करने पर संबंधित फर्म को काली सूची में दर्ज करते हुए जमानत राशि जप्त कर ली जाएगी।
5. आपूर्ति की जाने वाली साम्रगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना संबंधित आपूर्तिकर्त्ता की जिम्मेवारी होगी।
6. निविदाताओं का चरित्र उत्तम एवं आर्थिक रूप से सुद्ढ़ होना चाहिए।
7. भुगतान के समय सभी देय कर की राशि की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
8. भुगतान की कार्रवाई साम्रगी की गुणवत्ता के आधार पर की जाएगी।

(ख) <u>तकनीकी निविदा की शर्तें</u>:–

1. फर्म को जी.एस.टी. न0 तथा पैन न0 देना होगा। साथ ही, अद्यतन आयकर जमा करने की विवरणी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2. निविदा में भाग लेने वाले फर्म का Bihar Shop and Establishment कार्यालय से निबंधित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. तकनीकी निविदा के साथ मो0 10,000/–(दस हजार) रूपये का राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट जिला पदाधिकारी, रोहतास के पक्ष में सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।
4. कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही दिया गया निविदा मान्य होगा।
5. निविदादाता को अपने फर्म के संबंध में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म काली सूची में दर्ज नहीं है।
6. फर्म को अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अनुभवी फर्म को प्राथमिकता दिया जाएगा।

7. निविदादाता को यदि कार्य आवंटित होता है तो निर्धारित समय सीमा के अन्दर सामग्री की आपूर्ति करना होगा। अन्यथा कार्यादेश को रद्द करते हुए प्रतिभूति की राशि जप्त कर ली जाएगी तथा फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(ग) <u>वित्तीय निविदा की शर्तें</u>:–

1. कार्यादेश के लिए अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने व्यय पर उपलब्ध कराना होगा।
2. सामग्री की आपूर्ति का दर सभी प्रकार के लागत एवं कर सहित अंकित करना होगा।
3. कार्यालय द्वारा निर्धारित विहित निविदा प्रपत्र पर ही दर का उल्लेख अंक एवं शब्द मे करना होगा।
4. उल्लिखित दर मे किसी प्रकार का ओवरराईटिंग किए जाने पर उस मद का दर मान्य नही होगा।

जिला पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।